न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : **श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०**

राजस्व वाद संख्या : 137/11

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. जोगाराम पुत्र हराराम
   जाति–कुमावत, निवासी– समौखी
   तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

1. चैनाराम पुत्र भंवरलाल
   कौम–गुर्जर, निवासी–मोहराई
   तह०–जैतारण, जिला–पाली (राज०)

राजस्व वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.05.07.2011

उपस्थितः– 1. श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 08/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–समौखी, पटवार मण्डल–मोहराई में वादी की निजी खरीद सुदा काश्त एवम् कब्जा सुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर–121/298 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय की आई हुई हैं, जो वादी के नाम जरिए म्यूटेशन संख्या 534 दिनांक 06/04/2009 को खातेदारी में दर्ज हुई नकल म्युटेशन संख्या 534 एवम जमाबंदी सम्वत् 2064–67 प्रस्तुत हैं। उक्त जमीन केवल मात्र वादी की एक मात्र काश्त एवम् कब्जा सुदा एवम् स्वामित्व की हैं। प्रतिवदी का इस खातेदारी जमीन से कोई लेना देना नहीं हैं। महज गांव–मोहराई का सरपंच होने के नाते बार–बार परेशान करता हैं एवम् ऐलानिया धमकियाँ देता हैं कि वह स्वयं या अन्य किसी भी अपने चहेते को उक्त जमीन पर कब्जा कराकर वादी को बेदखल कर देंगा। जबकी वादी शान्तिपूर्वक उक्त जमीन का बतौर मालिक काबिज है। दिनांक 29/06/2009 को उसकी उक्त जमीन से बेदखल कर देगा। अगर प्रतिवादी ने वादी को अपनी निजी खातेदारी से प्रतिवादी को बेदखल कर दिया, तो वादी को अपने खातेदारी जमीन में काश्त एवम् काश्त के मुतालिक सभी कार्य करने से वंचित हो जाऐगां, बार–बार मुकदमें बाजी होगी एवम् संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नही होगी। ऐसी परिस्थितियों में यह दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादी प्रस्तुत किया है। बिनायवाद दिनांक 29/06/2009 को प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त जमीन से बेदखल करने पर मौजा–समौखी में उत्पन्न हुआ हैं, जो अन्दर म्याद एवम् न्यायालय के सुनने के क्षेत्राधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। इस दौरान पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मोहराई में पेश हुई। पक्षकारान को तलब किया गया। चूँकि प्रतिवादी की ओर से जबाबदावा पेश किया जा चुका हैं तथा प्रति० ने आज दिनांक 08/06/2015 को प्रार्थना पत्र पेश किया, सा०मि० हैं। पत्रावली की अवलोकन किया गया। वादी राजस्व अभिलेख में खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। तनकियात कायम करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–समौखी, पटवार मण्डल–मोहराई में वादी की निजी खरीद सुदा काश्त एवम् कब्जा सुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर–121/298 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 08/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–मोहराई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

उंज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. जोगाराम पुत्र हराराम
जाति–कुमावत, निवासी– समौखी
तह.–जैतारण, जिला–पाली(राज.)

1. चैनाराम पुत्र भंवरलाल
कौम–गुर्जर,निवासी–मोहराई
तह0–जैतारण, जिला–पाली(राज0)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:137/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–......... व हाजरी श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–समौखी, पटवार मण्डल–मोहराई में वादी की निजी खरीद सुदा काश्त एवम् कब्जा सुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर–121/298 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शरह ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08/06/2015 को जारी किया गया ।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

मोहर

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02-00	स्टाम्प वकालतनामा	02-00
स्टाम्प वकालतनामा	02-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	02-00	महनताना वकील	
महनताना वकील	03-00	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	09-00	मिजानः–	02-00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner